उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या VII वर्ष 1870) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि कोर्ट फीस अधिनयम, 1870 (अधिनियम संख्या VII वर्ष 1870) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल कोर्ट फीस अधिनयम, 1870 (अधिनियम संख्या VII वर्ष 1870) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल कोर्ट फीस अधिनयम, 1870 (अधिनियम संख्या VII वर्ष 1870) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

कोर्ट फीस अधिनयम, 1870 (अधिनियम संख्या VII वर्ष 1870) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1887) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1887) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1887) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1887) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1887) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश वाद मूल्यांकन नियमावली, 1942 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि उत्तर प्रदेश वाद मूल्यांकन नियमावली, 1942 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश वाद मूल्यांकन नियमावली, 1942 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश वाद मूल्यांकन नियमावली, 1942) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

उत्तर प्रदेश वाद मूल्यांकन नियमावली, 1942 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1887) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि न्यायालय फीस छूट अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1951) (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है)उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि न्यायालय फीस छूट अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1951) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल न्यायालय फीस छूट अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल न्यायालय फीस छूट अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

न्यायालय फीस छूट अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1951) (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1951) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।
2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि यूनाइटेड प्रोविन्सेस कोर्ट आफ वार्डस (रिपील) ऐक्ट, 1969 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1969 जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि यूनाइटेड प्रोविन्सेस कोर्ट आफ वार्डस (रिपील) ऐक्ट 1969 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1969 जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल(यूनाइटेट प्रोविन्सेस कोर्ट आफ वार्डस (रिपील) ऐक्ट, 1969 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1969 जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल यूनाइटेट प्रोविन्सेस कोर्ट आफ वार्डस (रिपील) ऐक्ट, 1969 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"यूनाइटेड प्रोविन्सेस" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

यूनाइटेड प्रोविन्सेस कोर्ट आफ वार्डस (रिपिल) ऐक्ट, 1969 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1969) में जहां–जहां "यूनाइटेड प्रोविन्सेस" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि कोर्ट फीस (नगद भुगतान अधिनियम, 1975 संख्या 9) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि कोर्ट फीस (नगद भुगतान अधिनियम, 1975 संख्या 9) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (कोर्ट फीस नगद भुगतान अधिनियम, वर्ष 1975 संख्या 9) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (कोर्ट फीस नगद भुगतान अधिनियम, 1975संख्या 9) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

कोर्ट फीस (नकद भुगतान अधिनियम, वर्ष 1975 संख्या 9) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि कोर्ट फीस अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 14 वर्ष 1981) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि कोर्ट फीस अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 14 वर्ष 1989) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल कोर्ट फीस अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 14 वर्ष 1989) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल कोर्ट फीस अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 14वर्ष 1989) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

कोट फीस अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 14 वर्ष 1989) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (भारतीय स्टाम्प अधिनियम (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899) (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899 जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

भारतीय स्टाम्प अधिनियम– अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899– जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।
2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्याकन नियमावली, 1997 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्याकंन नियमावली, 1997) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्याकंन नियमावली 1997) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली, 1997) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्याकंन नियमावली, 1997 में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढा जायेगा।

नियमावली में संशोधनः–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 156 में स्तम्भ 1 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका में वर्णित स्तम्भ 2 रख दिया जायेगा।

क्र0स0	स्तम्भ1:– विद्यमान नियम	स्तम्भ 2:– एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 156
156	प्रतिबन्ध यह है कि रूपये दो हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाइसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा	प्रतिबन्ध यह है कि रूपये दस हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाइसेन्स प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश स्टाम्प निदेशिका वर्ष 1945 (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि स्टाम्प निदेशिका वर्ष 1945) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश स्टाम्प निदेशिका वर्ष 1945) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (स्टाम्प निदेशिका वर्ष 1945) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

स्टाम्प निदेशिका वर्ष 1945 में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908(अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908(अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908) (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908)(अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908(अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि वैलीडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,1984(अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1894) (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि वैलीडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,1894 (अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1894) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल वैलीडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,1894) (अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1894) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (वैलीडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,1894)(अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1894) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

वैलीडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,1894(अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1894) में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका भाग–एक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका भाग–एक उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका, भाग–एक) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका, भाग–एक) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका भाग–एक में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652 / वि0अनु0–5 / स्टा0एवं रजि0 / 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका भाग–दो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका भाग–दो उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका, भाग–दो) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका, भाग–दो) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण निदेशिका भाग–दो में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।
2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि कैलकुलेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी रूल्स, 1931 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी रूल्स,1931 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (कैलकुलेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी रूल्स, 1931) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (कैलकुलेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी रूल्स, 1931) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

कैलकुलेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी रूल्स, 1931 में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 652 /वि0 अनु0– 5/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन / 2002
:देहरादूनः ::दिनॉकः: 8–11–2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक अनुज्ञापन नियमावली, 1977 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश दते हैं कि उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक अनुज्ञापन नियमावली, 1977उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक अनुज्ञापन नियमावली, 1977) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक अनुज्ञापन नियामवली, 1977) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जानाः

उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक अनुज्ञापन नियमावली, 1977 में जहां–जहां "उत्तर प्रदेश" आया है वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 652/वि0अनु0–5/स्टा0एवं रजि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।

2– उपनिदेशक राजकीय लिथो प्रेस रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0पन्त)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन